APP-A
Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

रि/402ड
26/12/18

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

श्रीमती समन्दरदेवी पत्नी छगनलाल जाति गुर्जर । बनाम रतनसिंह पुत्र प्यार सिंह जाति रावत व अन्य।

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 367 सन् 18 (इड)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00367 श्री निरंजन पारीक एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.12.18	यह अपील श्री निरंजन कुमार पारीक एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 30.01.2017, प्रकरण संख्या 06/2017 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट के कथन एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 जा.दी. व अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशदिनांक 30.01.2017 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र् प्रार्थीनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का ही अवलोकन किया किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का ही अपने निर्णय में हवाला दिया गया है जबकि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों का अपने वर्णन में कहीं हवाला नही दिया जैसे कि अपीलार्थीया ने उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की हैं तथा मौके पर कब्जा भी अपीलार्थी का चला आ रहा हैं आदि तथ्यों पर किसी प्रकार से गौर नही कर मात्र् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अंकित करते हुए निर्णय पारित किया हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के विधि सम्मत नही हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में हैं न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1/8/1225 श्रीमती समन्दू बनाम रतनसिंह वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री निरंजन पारीक श्री	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	न्यायालय के आदेश दिनांक 30.1.2017 की पालना आगामी आदेश तक स्थगित किया जावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर,दूदू द्धारा धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. एवं जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के विपरीत वादग्रस्त आराजीयात पर एक पक्षीय रूप से बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को उनके अधिकारों से महरूम करने की नियत से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं जिसका निस्तारण निर्धारित समय से अधिक समय के उपरान्त भी निस्तारण नही कर लम्बित किया हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा विवादित आराजी अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें रिकार्डेड खातेदारी काश्तकारी को पाबंद करना उचित नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत नही है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत हैं एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण करना उचित समझते है। **अतः अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 30.01.2017, प्रकरण संख्या 06/2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस माह में निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील पाधिकारी अजमेर	

35

367/18/225

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.12.18	यह पत्रावली अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह चौहान द्वारा दिनांक 24.12.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 जा.दी. पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.12.2018 को अपील में बाद सुनवाई करने के पश्चात अपील को अधीनस्थ न्यायालय का प्रपिप्रेषित की गई। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के स्थान पर सहवन से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू अंकित हो गया जिसे दुरूस्त किये जाने आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा.दी. को स्वीकार किया जाता हैं तथा आदेश दिनांक 19.12.2018 में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर,दूदू के आदेश के स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं।** प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	